

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/3127-यू/2018/

दिनांक :

आदेश

एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 3509/2014 श्री चूलाराम हीरानी, वरिष्ठ सहायक, (से.नि.) के निर्णय दिनांक 06.01.2017 की अनुपालना में देय एरियर राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज राशि 692073/-रु. (अक्षरे छः लाख बानवें हजार तेहत्तर मात्र) के ब्याज के भुगतान की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बजट मद 2210-01-196-01-07-32 डिक्लीटल व्यय की स्वीकृति जारी की जाती है।

उक्त आदेश वित्त नियम विभाग की आईडी क्रमांक 101805301 दिनांक 15.10.2018 के अनुसरण में जारी किये जा रहे हैं।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें


राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 31/10/18

क्रमांक :- ई-18/एम/3127-यू/2018/2992

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन संयुक्त सचिव, वित्त नियम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।
6. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
7. श्री चूलाराम हीरानी, वरिष्ठ सहायक(से.नि.) को सूचनार्थ।
8. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
9. आदेश/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर